



2026:AHC:18201

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 2563/2026

रवि कुमार

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- विनय दुबे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का नाम एफ.आई.आर. में अंकित है। प्रारम्भ में एफ.आई.आर. धारा 64, 351(2) बी.एन.एस. तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज की गई थी, किंतु विवेचना के उपरांत पॉक्सो अधिनियम की धाराएं हटा दी गईं। एफ.आई.आर. में सूचनाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 11.08.2025 को उसकी मानसिक रूप से विकलांग पुत्री अपने दो भाइयों के साथ घर में सो रही थी, तभी मध्य रात्रि में प्रार्थी वहाँ आया और उसके साथ बलात्कार किया तथा उसके पास सो रहे दोनों भाइयों को धमकाया। यह भी कहा गया है कि पीड़िता के कपड़ों तथा जिस बिस्तर पर वह सो रही थी, उस पर रक्त पाया गया। पीड़िता के बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत बयान मनोचिकित्सक की सहायता से दर्ज किए गए, जिनमें उसने प्रार्थी के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कथित घटना के दो दिन बाद किया गया, जिसमें उसके शरीर पर कुछ बाहरी अथवा आंतरिक चोट पाई गई, किंतु संबंधित चिकित्सक ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बल प्रयोग के कोई स्पष्ट संकेत नहीं पाए तथा उसके योनि स्वैब में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया। अतः चिकित्सीय साक्ष्य जबरन बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करता। अतः यह तर्क दिया गया कि यह झूठा फँसाने का मामला है और प्रार्थी को दुर्भावना एवं कुटिल मंशा से असत्य एवं निराधार आरोपों के आधार पर फँसाया गया है। आरोपों की असत्यता दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रार्थी विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन करेगा। आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 16.08.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण से पूर्व चरण में प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई रियायत प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

4. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

5. अतः, प्रार्थी रवि कुमार को मुकदमा अपराध संख्या 220/2025, धारा 64(2)(ट), 351(2) बी.एन.एस., थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।



iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।

v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।

6. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

27 जनवरी, 2026

मुस्तकीम